



क. 542/अका/शोध/ग्रामीण प्रौ./2025

बिलासपुर, दिनांक

17 4 JUN 2025

प्रति,

Shashi Bhushan Soni (Part Time Research Scholar)
Department of Rural Technology
Guru Ghasidas Vishwavidyalaya
Bilaspur (C.G.)

विषय:- यू.जी.सी. (एम.फिल./पीएच.डी. उपाधि के लिए न्यूनतम मानक एवं प्रक्रिया) विनियम, 2022 के प्रावधानानुसार पीएचडी0 उपाधि के लिए पंजीयन।

विभागीय शोध समिति की बैठक दिनांक 02.04.2025 में लिए गये निर्णय के परिप्रेक्ष्य में शोध कार्य हेतु विभाग- ग्रामीण प्रौद्योगिकी और सामाजिक विकास,- विद्यापीठ अंतरविषयक शिक्षा और अनुसंधान में आपका पंजीयन सक्षम संस्तुति उपरान्त निम्नानुसार किया जाता है:-

शोध का विषय शीर्षक/ Registered Topic		शोध निर्देशक	
Land Mutation Process in Chhattisgarh: A Legal and Administrative Study		Prof. Rajendra Mehta, Professor, Department of Rural Technology, Guru Ghasidas Vishwavidyalaya Bilaspur (C.G.)	
छत्तीसगढ़ में भूमि नामांतरण प्रक्रिया: एक कानूनी एवं प्रशासनिक अध्ययन			
शोध केन्द्र	पंजीयन क्रमांक	पंजीयन तिथि	नामांकन क्रमांक
Department of Rural Technology, Guru Ghasidas Vishwavidyalaya Bilaspur (C.G.)	235143504	02.04.2025	GGV/23/12701

- आप यू.जी.सी. (एम.फिल./पीएच.डी. उपाधि के लिए न्यूनतम मानक एवं प्रक्रिया) विनियम, 2022 के प्रावधानों एवं विश्वविद्यालय शोध अध्यादेश एवं विनियम में उल्लिखित नियमों के अनुसार पीएच.डी. शोध कार्य करेंगे। विश्वविद्यालय शोध विनियम 2023 के नियमन R11 के अनुसार शोध पंजीयन तिथि से प्रति छः माही प्रगति प्रतिवेदन एवं उपस्थिति का लेखा शोध निर्देशक/ RAC द्वारा अनुशंसित एवं DRC/Dean के संस्तुति /अनुमोदन के पश्चात जमा करना होगा। यदि निरंतर दो सेमेस्टर प्रतिवेदन असंतोष जनक पाये गये अथवा एक वर्ष तक प्रगति प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुआ तो शोध-पंजीयन स्वयमेव निरस्त हो जायेगा। शोध ग्रन्थ प्रस्तुत करने की तिथि से लगभग एक माह पूर्व 3 प्रतियों में शोध ग्रन्थ का सार संक्षेप (समरी) शोध निर्देशक के माध्यम से प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

कमरा:

2. यह पंजीयन प्रवेश तिथि से छः वर्ष तक जीवित रहेगा तथा प्रवेश तिथि से छःवर्ष के भीतर शोधार्थी द्वारा शोध ग्रंथ जमा नहीं करने पर पंजीयन छःवर्ष उपरांत स्वतः निरस्त हो जावेगा। शोध पंजीयन अवधि में वृद्धि विश्वविद्यालय शोध विनियम 2023 के नियमन R.04 के अधीन रहेगा।
3. शोध ग्रंथ प्रस्तुतीकरण/प्रोसेसिंग शुल्क रुपये 25,000/-(परिवर्तनीय) विश्वविद्यालय कोष में चालान के द्वारा देय होगा।
4. शोध विनियम के प्रावधानानुसार शोधार्थी को निर्धारित समयावधि में शोध ग्रंथ प्रस्तुत करना होगा। छः माही प्रगति प्रतिवेदन एवं शोध ग्रंथ जमा करना शोधार्थी की व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी विश्वविद्यालय द्वारा इस संबंध में स्मरण नहीं कराया जायेगा।
5. शोधार्थी का पंजीयन एवं शोध कार्य विश्वविद्यालय के शोध विनियम-2023 के अधीन होगा। अतः शोधार्थी को यह सलाह दी जाती है कि विश्वविद्यालय शोध विनियम-2023 के प्रावधानों का भली-भांति अध्ययन कर लेवें।

आदेशानुसार,

सहा. कुलसचिव(अका.)

क्रमांक 543 /अका0/शोध/ग्रामीण प्रौ/2025

बिलासपुर, दिनांक

14 JUN 2025

प्रतिलिपि:-

1. शोध निर्देशक Prof. Rajendra Mehta, Professor, Department of Rural Technology, Guru Ghasidas Vishwavidyalaya Bilaspur (C.G.) को इस निवेदन के साथ प्रेषित है कि वे ऊपर लिखित शोध अध्यादेश/विनियम के प्रावधानानुसार संलग्न प्रारूप में शोध छात्र का प्रत्येक सेमेस्टर छःमाही प्रगति प्रतिवेदन विश्वविद्यालय को अनिवार्य रूप से प्रेषित करें। विश्वविद्यालय द्वारा इस संबंध में अलग से पत्र व्यवहार नहीं किया जायेगा।
2. विभागाध्यक्ष, ग्रामीण प्रौद्योगिकी और सामाजिक विकास विभाग, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर छ0ग0 की ओर सूचनार्थ।
3. सहायक कुलसचिव, गोपनीय शाखा गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर की ओर सूचनार्थ।
4. ग्रंथपाल, केन्द्रीय ग्रंथालय, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर को सूचनार्थ।
5. समन्वयक आईटी सेल, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर की ओर वेब पोर्टल पर अपलोड किए गए सूची में शामिल करने हेतु प्रेषित।
6. संबंधित नस्ती प्रति।

सहा. कुलसचिव(अका.)

गुरु घासीदास विश्वविद्यालय,
बिलासपुर(छ.ग.)